

सं. ए.12026/1/2017-ई.-III

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर पे- बैंड-4, 37400-67000/-रूपये + ग्रेड वेतन 10000/- रूपये (छठे वेतन आयोग का वेतनमान) में महाप्रबंधक का 01 (एक) पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड के कार्यों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने मातहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करेगा और उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और ड्यूटियों का निर्वाह भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएंगी और जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन अथवा अनुदानों का पुनः संबंधी मामलों में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, विनियोग 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और ड्यूटियों का भी निर्वाह करेगा।

3. पात्रता मानदंड

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी, जो: (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हो; अथवा (ii) ग्रेड में वेतन बैंड-4 में क्रमशः 8900 रूपए अथवा 8700 रूपए के ग्रेड वेतन में अपर मुख्य इंजीनियर अथवा अधीक्षण इंजीनियर के पद पर दो वर्ष अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन

और अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव; (iii) अथवा मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव अथवा (iii) बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) वेतन बैंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो; अथवा (ii) वेतन बैंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पणी 1. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा समेत) सहित, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु- प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविदा सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी ।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे ।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा ।

9. अनुलग्नक-1 से IV में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 60 दिन के अंदर श्री आर एन दीक्षित, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, चौथा तल, कमरा सं. 435, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी । सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए । विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे के बिना किए गए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं ।

10. मात्र ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत्त (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) अनुलग्नक-3 में दिए गए प्रपत्र में सतर्कता स्वीकृति (iv) अनुलग्नक-4 के प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्ति का ब्यौरा और (v) अनुलग्नक-5 के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो ।

11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- <http://wrmin.nic.in> से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।

चन्दन मुखर्जी
(चन्दन मुखर्जी)

उप सचिव, भारत सरकार

1.	पद का नाम	:	महाप्रबंधक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	:	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'क' अननुसचिवीय
4.	पे बैंड	:	वेतन बैंड-4, 37400-67,000 रूपए (छठे वेतन आयोग का वेतनमान)
5.	ग्रेड पे	:	10000 रूपए (छठे वेतन आयोग का वेतनमान)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	:	प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा समेत) सहित, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी	:	महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड के कार्यों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने मातहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित करेगा और उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और ड्यूटियों का निर्वाह भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएंगी और जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन अथवा अनुदानों का पुनः संबंधी मामलों में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, विनियोग 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और ड्यूटियों का भी निर्वाह करेगा।
8.	वेतन एवं भत्ते	:	चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

		<p>के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा ।</p>
9.	<p>पद के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और पात्रता</p>	<p>: केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी, जो: (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हो; अथवा (ii) ग्रेड में वेतन बैंड-4 में क्रमशः 8900 रूपए अथवा 8700 रूपए के ग्रेड वेतन में अपर मुख्य इंजीनियर अथवा अधीक्षण इंजीनियर के पद पर दो वर्ष अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में डिग्री; और (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव; (iii) अथवा मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं अथवा सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव अथवा (iii) बाढ़ प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा (ख) (i) वेतन बैंड-4, 8900 रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो; अथवा (ii) वेतन बैंड-4, 8700 ग्रेड वेतन में पद धारित 3 वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पणी 1. प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा</p>

		<p>छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा।</p> <p>किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।</p>
10.	आयु	: प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविदा सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जीवन-वृत्त प्रपत्र

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
टेलीफोन नंबर
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में)
3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
4. शैक्षिक योग्यता
5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/ अनुभव
अनिवार्य	
वांछित	

6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें।) :

कार्यालय/ संस्था /संगठन का नाम	धारित पद और सेवा / केडर जिससे यह संबंधित है	से	तक	वेतन बैंड में वेतन और पद की श्रेणी	कार्य का स्वरूप

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात्
 - (i) तदर्थ
 - (ii) स्थाई /अस्थाई आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में वेतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन
9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
 - (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :

कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-

(क) केन्द्र सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन

(घ) सरकारी उपक्रम

(ङ) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां
13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हैं। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।
15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

यह पुष्टि की जाती है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने ----- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ----- के पद के लिए आवेदन किया है, के विरुद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है।

(प्राधिकृत अधिकारी)

नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :

अनुलग्नक-4

शास्ति प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने ----- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ----- के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गयी है।

(प्राधिकृत अधिकारी)

नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :

अनुलग्नक-5

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने -----में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ----- के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।

(उपसचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :